EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 413-414

Dated 18-7-2009

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2009

सा.का.नि. 105.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 56 की उप-धारा 2 के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण, इंजीनियर सदस्य भर्ती नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण, इंजीनियर सदस्य भर्ती (संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 के स्थान पर नया नियम रखा जाएगा.—दिल्ली विकास प्राधिकरण, इंजीनियर सदस्य भर्ती नियम, 2006 (जिसे इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्,

"2. नियुक्ति—दिल्ली विकास प्राधिकरण में इंजीनियर सदस्य के पद की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी"

3. अनुसूची का संशोधन—उक्त नियमों की अनुसूची के स्तंभ (13) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

खोज-सह-चयन समिति का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा :—

"1. सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय	—अध्यक्ष
2. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	—सदस्य
3. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण	—सदस्य
4. महानिदेशक (निर्माण), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	—सदस्य
5. भारत सरकार के अपर सचिव के समकक्ष स्तर का एक ज्येष्ठ इंजीनियर	—सदस्य"

[फा. सं. के-11011/18/2005-डीडीआईए]

सुजाता चतुर्वेदी, निदेशक (दिल्ली डिवीजन)

पाद टिप्पणी :—मूल नियम 5 जुलाई, 2006 के जीएसआर नं. 161 के तहत 8 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2009

G.S.R. 105.—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of Section 56 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Delhi Development Authority, Engineer Member Recruitment Rules, 2006, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Delhi Development Authority, Engineer Member Recruitment (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Substitution of new rule for rule 2.**—In the Delhi Development Authority, Engineer Member Recruitment Rules, 2006 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely,

"2. Appointment.—The appointment to the post of Engineer Member, Delhi Development Authority, shall be made by the Central Government."

3. **Amendment of Schedule.**—In the Schedule to the said rules, in column (13), for the entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"Search-cum-Selection Committee consisting of :—

1.	Secretary to the Government of India, Ministry of Urban Development	—Chairperson
2.	Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi	—Member
3.	Vice-Chairman, Delhi Development Authority	—Member
4.	Director General (Works), Central Public Works Department	—Member
5.	One Senior Engineer equivalent to the level of Additional Secretary to the Government of India	—Member".

[F. No. K-11011/18/2005-DDIA]

SUJATA CHATURVEDI, Director (Delhi Division)

Foot Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, dated 8th July, 2006, vide, number G.S.R. 161, dated the 5th July, 2006.

MGIPRRND—2661 UD/09——100